2021 का विधेयक संख्यांक 65.

[दि माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे ; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का उस उपबंध प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

कतिपय पदों के प्रतिनिर्देश का

2. संपूर्ण खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे 1957 का 67

कतिपय अन्य पदों द्वारा प्रतिस्थापन ।

इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में,—

(i) "भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "खनिज रियायत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, सह-खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, [धारा 3 के खंड (क) में के सिवाय] "संयुक्त अनज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

'(□) खंड (क) और खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

(क) "संयुक्त अनुज्ञप्ति" से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह-खनन पट्टा अभिप्रेत है जो समेकित रीति में पूर्वेक्षण संक्रियाओं के पश्चात् खनन संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए दो प्रक्रम पर दी गई रियायत है ;

(कक) "प्रेषण" से पट्टाधीन क्षेत्र से खनिज या खनिज उत्पाद का हटाया जाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पट्टाधीन क्षेत्र के भीतर खनिजों और खनिज उत्पादों का उपभोग भी है ;

(कख) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में उसका है; 2013 का 18

(कग) "पट्टाधीन क्षेत्र" से खनन पट्टा में विनिर्दिष्ट ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके भीतर खनन संक्रियाएं की जा सकती हैं और इसके अंतर्गत खंड (झ) में यथानिर्दिष्ट खान की परिभाषा के अधीन आने वाले क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित और अनुमोदित गैर-खनिज क्षेत्र भी हैं;

(कघ) "खनिजों" के अंतर्गत खनिज तेलों के सिवाय सभी खनिज आते हैं ;

(कङ) "खनिज रियायत" से या भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा, संयुक्त अनुज्ञप्ति या इनमें से किन्हीं का संयोजन अभिप्रेत है और तद्नुसार "रियायत" पद का अर्थ लगाया जाएगा ;';

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चक) "उत्पादन" या "उत्पादन" शब्द के किसी व्युत्पाद से प्रसंस्करण या भेजे जाने के प्रयोजन के लिए पट्टाधीन क्षेत्र के भीतर खनिज का प्राप्त किया जाना या उसका जुटाया जाना अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (जख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(जखक) "अनुसूची" से अधिनियम से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (झ) में,—

1952 का 35

2020 का 37

(i) "खान अधिनियम, 1952" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020" शब्द और अंक रखे जांएगे ;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(i) कोई खान, उसके खनन योग्य खनिज आरक्षित के समाप्त होने तक खान बनी रहेगी और किसी खान के, पहला खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने से ऐसे खनन योग्य खनिज आरक्षित के समाप्त होने तक भिन्न-भिन्न समय के दौरान भिन्न-भिन्न स्वामी हो सकेंगे ;

(ii) "खनिज आरक्षित" पद से परिमाणित या उपदर्शित खनिज संसाधनों का आर्थिकीय खनन अभिप्रेत है ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक में "ऐसे किसी अस्तित्वों द्वारा जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्दों के स्थान पर "प्राइवेट अस्तित्व सहित ऐसे अन्य अस्तित्व द्वारा, जिन्हें ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4क का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) में,—

(i) "खनन संक्रियाएं" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "उत्पादन और प्रेषण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) दूसरे, तीसरे और चौथे परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जांएगे, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार, पट्टे के ऐसे धारक द्वारा, पट्टे के व्यपगत होने से पहले किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि पट्टे के धारक के लिए ऐसे कारणों से जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है, उत्पादन और प्रेषण करना या ऐसे उत्पादन और प्रेषण को जारी रखना संभव नहीं होगा, ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर एक वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त कालावधि के साथ-साथ दो वर्ष की कालावधि तक विस्तारित करने का आदेश कर सकेगी और ऐसा विस्तारण पट्टे की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि ऐसा पट्टा ऐसी विस्तारित अवधि के समाप्त होने के पूर्व उत्पादन और प्रेषण करने में या उत्पादन और प्रेषण को प्रारंभ करने में असफल होने, उन्हे जारी रखने में असमर्थ होने पर व्यपगत हो जाएगा।"।

धारा 5 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किन्हीं खनिजों के संबंध मे सरकार, सरकारी कंपनी या निगम से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा, जहां ऐसे क्षेत्रों में ऐसे खनिज की श्रेणी ऐसे अवसीमा मूल्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के बराबर या उससे ऊपर का है।"।

धारा 8 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी सरकारी कंपनियों या निगमों की दशा में खनन पट्टों की (जिसके अंतर्गत विद्यमान खनन पट्टे भी हैं) कालावधि, वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए:

परन्तु नीलामी द्वारा अनुदत्त खनन पट्टे से भिन्न खनन पट्टों की कालावधि को ऐसी अतिरिक्त रकम के, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय पर विस्तारित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पहली अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उक्त अनुसूची में वर्णित प्रविष्टियों को, उस तारीख से, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरित किया जा सके ।

(5) कोई पट्टेदार, जहां कोयले या लिग्नाइट का उपयोग कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया जाता है ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसी अतिरिक्त रकम का, जो छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करके, खान के साथ अन्तिम उपयोग संयत्र की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात् किसी वर्ष में उत्पादित कुल कोयले या लिग्नाइट का पचास प्रतिशत तक कोयला या लिग्नाइट का विक्रय कर सकेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से कोयले या लिग्नाइट की उक्त प्रतिशतता में वृद्धि कर सकेगी जिसका विक्रय किसी पट्टेदार सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी कंपनी या निगम को आबंटित कोयला खान से कोयले का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसे टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित) कोई विद्युत परियोजना अधिनिर्णीत किया गया है :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से षष्ठम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उसमें वर्णित प्रविष्टियों को, उस तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरित किया जा सके ।"।

धारा 8क का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 8क में,—

(क) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(7क) कोई पट्टेदार, जहां खनिज का उपयोग किसी कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया गया है, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और ऐसी अतिरिक्त रकम का जो षष्टम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करके खान के साथ अन्तिम उपयोग संयंत्र की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात् किसी वर्ष में उत्पादित कुल खनिज के पचास प्रतिशत तक खनिज का विक्रय कर सकेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से खनिज की उक्त प्रतिशतता में वृद्धि कर सकेगी जिसका विक्रय किसी पट्टेदार सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से षष्ठम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उसमें वर्णित प्रविष्टियों को, उस तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरित किया जा सके ।";

(ख) उपधारा (8) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु नीलामी के माध्यम से अनुदत्त खनन पट्टों से भिन्न खनन पट्टों की कालावधि को, ऐसी अतिरिक्त रकम के संदाय पर, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, विस्तारित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पहली अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उक्त अनुसूची में वर्णित प्रविष्टियों को, उस तारीख से, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपांतरित किया जा सके :

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी सरकारी कंपनियां या निगम जिनका खनन पट्टा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के पश्चात् विस्तारित किया गया है, भी ऐसी अतिरिक्त रकम का संदाय करेंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् उत्पादित खनिज के लिए पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।"।

2015 का 10

धारा 8ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 8ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

कानूनी अनापत्ति की कलावधि और अन्तरण के लिए उपबंध ।

"8ख. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी खान के संबंध में पट्टेदार को अनुदत्त सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां और वैसे ही अधिकार (उनसे भिन्न जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त

1962 का 33

किए गए हैं) खान में खनन योग्य खनिज आरक्षित के समाप्त होने तक विधिमान्य बने रहेंगे और पट्टे की समाप्ति या पर्यवसान पर ऐसे अधिकार, अनुमोदन, अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां और वैसे ही अधिकार इस अधिनियम के अधीन नीलामी के माध्यम से चयनित खनन पट्टे के सफल बोली लगाने वाले को अन्तरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे :

परन्तु जहां ऐसी पट्टा अवधि की समाप्ति पर खनन पट्टा धारा 8क की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन किसी नीलामी के अनुसरण में निष्पादित नहीं किया गया है या ऐसी नीलामी के अनुसरण में निष्पादित पट्टा, ऐसी नीलामी से एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त हो गया है वहां राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी सरकारी कंपनी या निगम को दस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या नीलामी के माध्यम से नए पट्टे का चयन किए जाने तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो पट्टा अनुदत्त कर सकेगी और पूर्ववर्ती पट्टे के साथ निहित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां और वैसे ही अन्य अधिकार, ऐसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा अर्जित किए गए समझे जाएंगे :

परन्तु यह और कि धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जहां पहले परन्तुक के अधीन किसी सरकारी कंपनी या निगम को खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है :

परन्तु अवसीमा मूल्य के समतुल्य या उससे ऊपर के ग्रेड वाले परमाणु खनिजों की दशा में समाप्त या पर्यवासित खनन पट्टों के संबंध में सभी विधिमान्य अधिकारों, अनुमोदनों, अनापत्तियों, अनुज्ञप्तियों और वैसे ही अधिकारों को ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को अन्तरित किए गए और उनमें निहित समझे जाएंगे जिसे उक्त खान के लिए पश्चातवर्ती रूप से खनन पट्टा अनुदत्त किया गया है ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी नए पट्टे के लिए उस भूमि पर खनन संक्रियाएं जारी रखना विधिपूर्ण होगा, जिसमें खान में खनन योग्य खनिज आरक्षित की समाप्ति तक या खनन पट्टे की समाप्ति या पर्यवासन तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन संक्रियाएं की जा रही थीं ।"।

धारा 9ख का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 9ख में,—

(i) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित, परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा निधि की संरचना और उसके उपयोग के संबंध में निदेश दे सकेगी ।";

(ii) उपधारा (5) में "खनन पट्टे का धारक शब्दों के पश्चात् "उन धारकों से भिन्न जो धारा 10क की उपधारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपधारा (6) में "खनन पट्टे का धारक" शब्दों के पश्चात् "ऐसे धारकों से भिन्न, जो धारा 10क की उपधारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत आते हैं" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 9ग का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 9ग में,—

(i) उपधारा (1) में "अलाभकर निकाय" शब्दों के स्थान पर "अलाभकार स्वायत्त निकाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट और अधिसूचित अस्तित्व राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के अधीन वित्तपोषण के पात्र होंगे ।"।

धारा 10 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन तब तक आवेदन करने का पात्र नहीं होगा जब तक,—

(क) उसका धारा 10ख, धारा 11 या धारा 11क या धारा 11ख के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार चयन नहीं किया गया हो; या

2015 का 11

(ख) उसका कोयला खान (विशेष) उपबंध अधिनियम, 2015 के अधीन चयन नहीं किया गया हो; या

(ग) वह ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो धारा 17क के अधीन उसके पक्ष में आरक्षित हो ।"।

धारा 10क का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु इस खंड के अन्तर्गत आने वाले मामलों के लिए, जिसके अन्तर्गत लंबित मामले भी हैं, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन पट्टा या खनन पट्टा अभिप्राप्त करने का अधिकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख को व्यपगत हो जाएगा :

परंतु यह और कि भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का ऐसे धारक को, जिसका अधिकार पहले परन्तुक के अधीन व्यपगत हो गया है, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए भूमीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाओं के मद्दे उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।";

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"(घ) ऐसी दशाओं में जहां खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन

अनुज्ञप्ति या पट्टा अभिप्राप्त करने का अधिकार व्यपगत हो गया है वहां ऐसे क्षेत्रों को, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नीलामी के लिए रखा जाएगा :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां परमाणु खनिज की श्रेणी अवसीमा मूल्य के समतुल्य या उससे अधिक है, ऐसे क्षेत्रों के लिए खनिज रियायत धारा 11ख के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुदत्त की जाएगी ।"।

धारा 10ख का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 10ख में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) इस धारा के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(क) धारा 17क के अधीन आने वाले मामलों को;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों को;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को, जहां परमाणु खनिजों की श्रेणी ऐसे अवसीमा मूल्य के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, बराबर है या उससे अधिक है ; या

(घ) ऐसी भूमि के संबंध में, जिसके खनिज सरकार में निहित नहीं हैं ।";

(ii) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां राज्य सरकार ने किसी खनिज की (चाहे वह अधिसूचित खनिज हो या अन्यथा) खनिज अन्तर्वस्तुओं की विद्यमानता को स्थापित करने के पश्चात् खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए ऐसा क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया है, वहां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से एक विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसा क्षेत्र अधिसूचित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि जहां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अधिसूचना जारी नहीं की जाती है वहां केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए ऐसा क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी ।"।

(iii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु,—

(क) जहां राज्य सरकार ने ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी खनिज के संबंध में (चाहे अधिसूचित खनिज हो या उससे अन्यथा) कोई खनन पट्टा अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए सफलतापूर्वक नीलामी पूरी नहीं की है ; या

(ख) ऐसी नीलामी पूरी हो जाने पर, खनन पट्टा या खनन

पट्टा अनुदत्त करने के आशय के पत्र किसी कारण से समाप्त या व्यपगत हो गया है,

वहां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, यथास्थिति, नीलामी संचालित और पूर्ण करने या पुनः नीलामी प्रक्रिया की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे मामलों में जहां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी नीलामी या पुनःनीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के लिए खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए नीलामी करा सकेगी :

परन्तु यह और कि नीलामी के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को नीलामी में के अधिमानी बोली लगाने वाले के ब्यौरे संसूचित करेगी और राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्र के लिए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ऐसे अधिमानी बोली लगाने वालों को खनन पट्टा अनुदत्त करेगी ।";

(iv) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु नीलामी में कैप्टिव प्रयोजन के लिए कोई खान आरक्षित नहीं होगी ।";

15. मूल अधिनियम की धारा 10ग का लोप किया जाएगा । धारा 10ग का लोप ।

16. मूल अधिनियम की धारा 11 में,— धारा 11 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) इस धारा के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(क) धारा 17क के अन्तर्गत आने वाले मामलों को;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों को;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को, जहां परमाणु खनिजों की श्रेणी, ऐसे अवसीमा मूल्य के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए के बराबर है या उससे अधिक है;या

(घ) ऐसी भूमि के संबंध में, जिसके खनिज सरकार में निहित नहीं हैं ।";

(ii) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां राज्य सरकार ने किसी खनिज की (चाहे वह अधिसूचित खनिज हो या अन्यथा) संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए ऐसा क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया है, वहां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से एक विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसा क्षेत्र अधिसूचित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि जहां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अधिसूचना जारी नहीं

की जाती है वहां केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए ऐसा क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी ।";

(iii) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु,—

(क) जहां राज्य सरकार ने ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी खनिज के संबंध में (चाहे अधिसूचित खनिज हो या उससे अन्यथा) कोई संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए सफलतापूर्वक नीलामी पूरी नहीं की है ; या

(ख) ऐसी नीलामी पूरी हो जाने पर, संयुक्त अनुज्ञप्ति या संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के आशय के पत्र किसी कारण से समाप्त या व्यपगत हो गया है,

वहां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, यथास्थिति, नीलामी संचालित और पूर्ण करने या पुनः नीलामी प्रक्रिया की अपेक्षा कर सकेगी और ऐसे मामलों में जहां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी नीलामी या पुनः नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए नीलामी करा सकेगी :

परन्तु यह और कि नीलामी के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को नीलामी में के अधिमानी बोली लगाने वाले के ब्यौरे संसूचित करेगी और राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्र के लिए ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ऐसे अधिमानी बोली लगाने वालों को संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगी ।";

(iv) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(10) पूर्वेक्षण संक्रियाओं के पूरा हो जाने पर, संयुक्त अनुज्ञप्ति का धारक, राज्य सरकार को भू-विज्ञान संबंधी रिपोर्ट के प्ररूप में, खनन पट्टे के लिए अपेक्षित ऐसे क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करते हुए पूर्वेक्षण संक्रियाओं का परिणाम प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार, संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे क्षेत्र के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगी ।"।

17. मूल अधिनियम की धारा 12क में,— धारक 12क का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) में,—

(क) "धारा 10ख या धारा 11" शब्दों, अंको और अक्षर के स्थान पर "इस अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु खनन पट्टे के अंतरिती से उपधारा (6) में जैसी वह खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 से पूर्व विद्यमान थी, निर्दिष्ट रकम या अंतरण प्रभारों की ऐसे प्रारंभ के पश्चात् संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी, किन्तु पहले संदत्त किए गए प्रभारों का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।";

(iii) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

18. मूल अधिनियम की धारा 13 में,— धारा 13 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में "भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टे" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं "खनिज रियायतों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (थथज) और खंड (थथट) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जांएगे, अर्थात्:—

"(द) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे की अवधि बढ़ाए जाने के लिए अतिरिक्त रकम ;

(ध) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन खनन पट्टे के धारक द्वारा खनिज के विक्रय की रीति ;

(न) धारा 8क की उपधारा (7क) के अधीन खनिज के विक्रय की रीति ;

(प) धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ख) के दूसरे परन्तुक के अधीन भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण संक्रियाओं के मद्दे व्यय की प्रतिपूर्ति की रीति ;

(फ) धारा 10ख की उपधारा (4) के दूसरे परन्तुक के अधीन अधिमानी बोली लगाने वाले को खनन पट्टा अनुदत्त करने की रीति ;

(ब) धारा 11 की उपधारा (5) के दूसरे परन्तुक के अधीन अधिमानी बोली लगाने वाल को संयुक्त अनज्ञप्ति अनुदत्त करने की रीति ;

(भ) धारा 11 की उपधारा (10) के अधीन राज्य सरकार द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक को खनन पट्टा अनुदत्त करने की रीति ;

(म) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित

किया जाना है या विहित किया जाए ।"।

धारा 17क का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 17क में,—

(क) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2क) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1क) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी क्षेत्र को पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं करने या खनन संक्रियाएं करने के पश्चात् पूर्वेक्षण संक्रियाएं करने के लिए आरक्षित करती है, वहां राज्य सरकार इस धारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे क्षेत्र की बाबत ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति, अनुदत्त करेगी :

परन्तु राज्य सरकार प्रथम अनुसूची में भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही अनुदत्त करेगी ।";

(ख) उपधारा (2ग) में,—

(i) "ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्दों के स्थान पर "पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसी रकम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पंचम अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उस तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उक्त अनुसूची में वर्णित प्रविष्टियों को उपांतरित किया जा सके ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी सरकारी कंपनियां या निगम जिनका खनन पट्टा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के पश्चात् विस्तारित किया गया है, भी ऐसी अतिरिक्त रकम का संदाय करेंगे जो खान कोई खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् उत्पादित खनिज के लिए पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।";

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा के अधीन किया गया आरक्षण उस दशा में व्यपगत हो जाएगा यदि आरक्षण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाता है :

परन्तु जहां आरक्षण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से पहले समाप्त हो जाती है या उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त हो जाती है वहां, यदि उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाता है तो आरक्षण व्यपगत हो जाएगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, ऐसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किए गए आवेदन पर या अपनी स्वप्रेरणा से और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर खनन पट्टा अनुदत्त किया जाना संभव नहीं होगा, ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक वर्ष से अनधिक की और अवधि के साथ ऐसी अवधि को शिथिल करने के लिए आदेश करेगी :

2015 का 10

परन्तु यह भी कि जहां ऐसी सरकारी कंपनी या निगम, जिसके पक्ष में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पूर्व इस धारा के अधीन कोई क्षेत्र आरक्षित किया गया है, खनन पट्टे के निष्पादन के बिना आरक्षित क्षेत्र से उत्पादन प्रारंभ कर दिया है वहां ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को खनन संक्रिया आरंभ करने की तारीख से राज्य सरकार का पट्टाधारी समझा जाएगा और ऐसा समझा गया पट्टा, इस उपधारा के अनुसार खनन पट्टे के निष्पादन पर या खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, व्यपगत हो जाएगा ।

(5) खनन पट्टे की समाप्ति या व्यपगत होना, इस धारा के अधीन आरक्षण के व्यपगत होने के परिणामस्वरूप होगा।

धारा 21 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से ही इस धारा में आने वाले किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खनिज का निकाला जाना, उसका परिवहन करना या उसे निकलवाने या उसका परिवहन करवाने वाले पद से किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति के बिना या धारा 23ग के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी खनिज का निकाला जाना या निकलवाना या उसका परिवहन करना या परिवहन करवाना अभिप्रेत है।"।

21. मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"पंचम अनुसूची

[धारा 8(4), धारा 8क(8) और धारा 17क(2ग) देखिए]

क्र0 सं0	खनिज	खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने या उसके विस्तार पर अतिरिक्त रकम
1.	लौह अयस्क और क्रोमाइट	संदेय स्वामित्व का एक सौ पचास प्रतिशत के बराबर ।
2.	ताम्र	संदेय स्वामित्व का एक सौ पचास प्रतिशत के बराबर ।
3.	कोयला और लिग्नाइट	संदेय स्वामित्व के बराबर ।
4.	अन्य खनिज (कोयला और लिग्नाइट से भिन्न)	संदेय स्वामित्व के बराबर ।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त रकम, राजस्व या जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को किए गए संदाय या किसी अन्य कानूनी संदाय के अतिरिक्त होगा ।

षष्ठम अनुसूची

[धारा 8(5) और धारा 8क(7क) देखिए]

(i) गैर नीलामा कैप्टिव खानों (कोयला और लिग्नाइट से भिन्न) के लिए :—

क्र0 सं0	खनिज	अतिरिक्त रकम
1.	बाक्साइट	
	(i) धातुकर्मीय ग्रेड	संदेय स्वामित्व के एक सौ पचास प्रतिशत के बराबर
	(ii) गैर-धातुकर्मीय ग्रेड	संदेय स्वामित्व के दौ सौ प्रतिशत ।
2.	क्रोमाइट	संदेय स्वामित्व के बराबर
	(i) सी.आर.$_2$ ओ$_3$ का चालीस प्रतिशत तक	संदेय स्वामित्व के दो सौ पचास प्रतिशत के बराबर ।
	(ii) सीआर$_2$ ओ$_3$ और सांद्र	संदये स्वामित्व के दो सौ प्रतिशत के बराबर ।
3.	लौह अयास्क	
	(i) सम्पस, आरओएम और सांद्र	संदेय स्वामित्व के दो सौ पचास प्रतिशत के बराबर
	(ii) चूर्ण	संदेय स्वामित्व के एक सौ पचास प्रतिशत के बराबर
4.	चूना पत्थर	
	(i) एल.डी. ग्रेड (जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम है)	संदेय स्वामित्व के दो सौ पचास प्रतिशत के बराबर
	(ii) अन्य ग्रेड	संदेय स्वामित्व के बराबर
5.	मैग्नीज	
	(i) मैग्नीज की मात्रा पैंतीस प्रतिशत से कम है	संदेय स्वामित्व के बराबर
	(ii) मैग्नीज की मात्रा पैंतीस प्रतिशत या उससे अधिक	संदेय स्वामित्व के पांच प्रतिशत के बराबर
6.	अन्य खनिज	संदेय स्वामित्व के बराबर

(ii) नीलाम की गई कैप्टिव खानों के लिए (कोयला और लिग्नाइट से भिन्न) :

क्र0 सं0	खनिज	अतिरिक्त रकम
1.	वार्षिक उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत तक खनिज का विक्रय	कुछ नहीं
2.	वार्षिक उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक और पचास प्रतिशत तक खनिज का विक्रय	संदेय स्वामित्व के पचास प्रतिशत के बराबर

(iii) कोयला और लिग्नाइट के लिए :

क्र0 सं0	खान का प्रकार	अतिरिक्त रकम
1.	(i) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) के अधीन आरक्षित बोली के माध्यम से विद्युत सेक्टर के लिए नीलाम की गई कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट खान	संदेय स्वामित्व के दौ सौ प्रतिशत के बराबर
	(ii) आबंटन रूप के माध्यम से आबंटित कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट खान [मद सं0 (iv) के अधीन आने वाली खानों से भिन्न]	संदेय स्वामित्व के बराबर
	(iii) नीलामी रूट के माध्यम से आबंटित कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट खान [मद सं0 (i) और मद सं0 (iv) के अन्तर्गत आने वाली खानों से भिन्न]	संदेय स्वामित्व के बराबर
	(iv) ऐसी कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट खानों के लिए जिनकी नीलामी और आबंटन, वार्षिक उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत तक कोयले का विक्रय अनुज्ञात करने की शर्त के साथ हुआ है—	
	(क) वार्षिक उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत तक कोयले के विक्रय के लिए ।	निवेदन दस्तावेज या आबंटन दस्तावेज में वर्णित शर्त के अनुसार संदेय अतिरिक्त रकम ।
	(ख) वार्षिक उत्पादन का पच्चीस प्रतिशत से अधिक और पचास प्रतिशत तक कोयले के विक्रय के लिए	संदेय स्वामित्व का पचास प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(i) अतिरिक्त रकम जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को दिए गए स्वामित्व या संदाय या किसी अन्य कानूनी संदाय या नीलामी

दस्तावेज या नीलामी प्रीमियम (जो भी लागू हो) में विनिर्दिष्ट संदाय के अतिरिक्त होगा ;

(ii) कोयले और लिग्नाइट के लिए अतिरिक्त रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए मूल्यानुसार स्वामित्व राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और कर, उद्ग्रहण और अन्य प्रभारों को अपवर्जित करके कोयले की प्रतिनिधि कीमत पर आधारित होगी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम) संघ के नियंत्रणाधीन खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का उपबंध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम का वर्ष 2015 में खनिज सेक्टर में, विशेष रूप से पारदर्शिता का सुधार करने के लिए खनिज रियायतों की नीलामी को आज्ञापक बनाने, जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास स्थापित करने तथा अवैध खनन के लिए शास्ति को सरल बनाने हेतु अनेक सुधार लाने के लिए व्यापक रूप से संशोधन किया गया था । अधिनियम का वर्ष 2016 और वर्ष 2020 में, गैर-नीलामी कैप्टिव खान हेतु पट्टा का अन्तरण अनुज्ञात करने और 31 मार्च, 2020 को पट्टे की समाप्ति के आपातिक बिन्दु पर कार्रवाई करने के लिए और संशोधन किया गया था ।

3. खनिज सेक्टर की संभावना का पूर्ण उपयोग करने, कोयला सहित खनन सेक्टर में नियोजन और विनिधान को बढ़ाने, राज्यों के लिए राजस्व को बढ़ाने, उत्पादन में वृद्धि और खानों का समयबद्ध परिचालन करने, पट्टेदार के परिवर्तन के पश्चात् खनन से क्रियाओं की निरन्तरता को बनाए रखने, खोज की गति और खनिज संसाधनों में वृद्धि करने और लम्बे समय से लंबित पड़े ऐसे मुद्दों का जिन्होंने सेक्टर में वृद्धि की गति को धीमा कर दिया है समाधान करने के लिए अधिनियम का और संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है ।

4. खान और खनिज (विकास और विनयमन) संशोधन विधेयक, 2021 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध किए गए है, अर्थात् :—

(i) भविष्य में खनिजों के कैप्टिव उपयोग के निर्बंध के बिना खानों की नीलामी का उपबंध करने और कैप्टिव कोयला खानों सहित विद्यमान कैप्टिव खानों को, खनिज संसाधनों के इष्टतम खनन को सुनिश्चित करने और ऐसे विक्रय पर प्रभारित अतिरिक्त रकम विनिर्दिष्ट करने के लिए संबद्ध अन्तिम उपयोग संयत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् उत्पादित खनिजों का पचास प्रतिशत तक विक्रय करने के लिए अनुज्ञात करके कैप्टिव और वाणिज्यिक खानों के बीच की भिन्नता को समाप्त करना । कैप्टिव संयत्रों द्वारा खनिजों का विक्रय, खनिजों के उत्पादन और प्रदाय में वृद्धि को सुकर बनाएगा, खनिज उत्पादन में अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, बाजार में अयस्क की कीमतों को स्थिर बनाएगा और राज्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व लाएगा ;

(ii) नीलाम की गई खानों और सरकारी कंपनी की खानों के बीच समान कार्य क्षेत्र का सृजन करने के लिए सरकारी कंपनियों को खनन पट्टा अनुदत्त करने और उसका विस्तार करने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त रकम के संदाय का उपबंध करना ;

(iii) यह उपबंध करना कि किसी खान के संबंध में किसी पट्टेदार को अनुदत्त विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्तियां, अनुज्ञप्तियां और वैसे ही अधिकार पट्टे की समाप्ति या पर्यवासन के पश्चात् भी विधिमान्य बने रहेंगे और ऐसी अनापत्तियां खनन पट्टे को सफल बोली लगाने वाले को अन्तरित हो और उसमें निहित हो जाएंगे । इससे पट्टेदार को परिवर्तन होने पर खनिजों के संपरिवर्तन एक ही होने पर भी खनन संक्रियाओं में सतता सुनिश्चित होगी और खान के संबंध में दूबारा से अनापत्तियां अभिप्राप्त करने की दोहर और अनावश्यक प्रक्रिया से बचा जा सकेगा ।

(iv) ऐसी परिस्थितियों में जहां धारा 8क की उपधारा (4) के अनुसरण में खानों की नीलामी विफल हो गई है वहां सरकारी कंपनियों को अल्पकालिक खनन पट्टा अनुदत्त करना ;

(v) जिला खनिज प्रतिष्ठानों द्वारा निधि की संरचना और उपयोग के संबंध में केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी करने के लिए सशक्त करना ;

(vi) गैर-नीलामी रियायत धारकों के ऐसे लंबित मामलों को बन्द करना जिसके परिणामस्वरूप पांच वर्ष से अधिक का पर्याप्त समय अन्तराल होने के बावजूद खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया गया है । इन मामलों की विद्यमानता निलामी व्यवस्था के लिए कालदोषयुक्त और प्रतिकूल होगी । लंबित मामलों को बन्द किए जाने से सरकार के लिए राष्ट्र हित में बड़ी संख्या में खनिज ब्लाकों की निलामी करना सुविधाजनक हो जाएगा जिसका परिणाम ऐसे ब्लाकों का शीघ्र प्रचालन और राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त राजस्व होगा ;

(vii) सेक्टर में नए सिरे से विनिधान और नई प्रौद्योगिकी को आकृष्ट करने के लिए गैर-निलामी खानों के लिए खनिज रियायतों के अन्तरण संबंधी निर्बंधनों को हटाना ;

(viii) सरकारी कंपनियों द्वारा पट्टा अनुदत्त करने और उत्पादनों को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकारी कंपनियों के लिए आरक्षित क्षेत्र हेतु पट्टा अनुदत्त करने के लिए समय-सीमा निश्चित करना ;

(ix) केन्द्रीय सरकार को ऐसे क्षेत्र अधिसूचित करने और दशाओं में नीलामी करने के लिए सशक्त करना जहां राज्य सरकारों को क्षेत्र अधिसूचित करने और नीलामी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है यह वे क्षेत्र अधिसूचित करने देश में खनिजों के निरन्तर प्रदाय के लिए नियमित आधार पर अधिक संख्या में खनिज ब्लाकों की नीलामी सुनिश्चित करने के लिए नीलामी करने में असफल रही है ; और

(x) अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करना जिससे उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए उसकी परिधि को सीमित करने के लिए "किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना" पद को स्पष्ट किया जा

सके । उक्त संशोधन से खनन सेक्टर में स्पष्टता और निश्चितता आएगी ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
10 मार्च, 2021

प्रल्हाद जोशी

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम) का त्वरित आर्थिक वृद्धि के लिए उसकी पूर्ण समाव्यता हेतु खनन सेक्टर को विकसित करने हेतु संशोधन करने के लिए है ।

2. विधेयक के खंड 12 मेंं उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ख) में दो परन्तुक अंतःस्थापित करने के लिए हैं पहले परन्तु में यह उपबंधित है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ पर धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन रियायत धारकों के यथास्थिति, के पश्चात् पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन पट्टा या खनन पट्टा अभिप्राप्त करने के अधिकार व्यपगत हो जाएंगे। दूसरे परन्तुक में यह उपबंधित है कि भूमिक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का ऐसे धारक ने जिसके अधिकार प्रस्तावित पहले परन्तुक के अधीन व्यपगत हो गए हैं, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण संक्रियाओं के मद्दे व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. इस संशोधन की वित्तीय विवक्षा, केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के ऐसे धारकोंं के जिनके अधिकार व्यपगत हो गए हैं, प्रतिपूर्ति के संदाय के विस्तार तक होगी । प्रतिपूर्ति के मद्दे व्यय की भारत और अन्य देशों के बीच निष्पादित द्विपक्षीय विनिधान संवर्धन और संरक्षण का अवलम्ब लेने वाले किसी विदेशी विनिधाता की दशा में वृद्दि हो सकेगी उक्त करार के अधीन माध्यस्थम निकायोंं के अधिनिर्णयोंं, यदि कोई हो के मूल्य का इस प्रक्रम पर प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है।

4. व्यय, अधिनियम की धारा 9ग के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की निधि से उपगत होगा । उक्त न्यास खनिजों के प्रादेशिक वित्तपोषण और विस्तृत खोज के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया है । खनन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा न्यास को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के निबंधनों में संदत्त स्वामित्व का दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करना अनिवार्य होगा । वर्त्तमान में वार्षिक रूप से लगभग छह सौ करोड़ रूपए न्यास को प्रोद्भूत होते हैंं और न्यास के पास, न्यास द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं को हिसाब में लेने के पश्चात् एक हजार सात सौ करोड़ रूपए हैंं । न्यास से प्रोद्भूत और व्यय भारत की संचित निधि के माध्यम से किया जाएगा ।

5. यदि न्यास को प्रोद्भूत निधियां प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं हैंं तो व्यय बजट संबंधी आवंटन के माध्यम से भारत की संचित निधि से किया जाएगा, न्यास और भारत की संचित निधि से सभी व्यय अनावर्ती प्रकृति के होंगे ।

6. प्रतिपूर्ति की रकम की प्रतिपूर्ति, उस क्षेत्र में के खनिज रियायत के सफल बोली लगाने वाले से होगी और उसे न्यास में जमा किया जाएगा । तथापि रकम की प्रतिपूर्ति इन ब्लाकों की सफलतापूर्वक नीलामी पर निर्भर होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 का खंड 13, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उपधारा (2) का प्रस्तावित विधान के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बनाने हेतु संशोधन करने के लिए है :—

(i) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे की अवधि और धारा 8 की उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन खनन पट्टे के बढ़ाए जाने के लिए अतिरिक्त रकम ;

(ii) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन खनन पट्टे के धारक द्वारा खनिज के विक्रय की रीति;

(iii) धारा 8क की उपधारा (7क) के अधीन खनिजों के विक्रय की रीति ;

(iv) धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ख) के दूसरे परन्तुक के अधीन भूमीक्षण अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण संक्रियाओं के मद्दे व्यय की प्रतिपूर्ति की रीति;

(v) धारा 10ख की उपधारा (4) के दूसरे परन्तुक के अधीन अधिमानी बोली लगाने वाले को खनन पट्टा अनुदत्त करने की रीति ;

(vi) धारा 11 की उपधारा (5) के दूसरे परन्तुक के अधीन अधिमानी बोली लगाने वाले को संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की रीति ; और

(vii) धारा 11 की उपधारा (10) के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति के धारक को राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा अनुदत्त करने की रीति और प्ररूप ।

2. वे विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे और अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरें के विषय हैं और उनके लिए प्रस्तावित विधान में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं होगा । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पट्टाधीन क्षेत्र" से खनन पट्टा में विनिर्दिष्ट ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके भीतर खनन संक्रियाएं की जा सकती हैं और इसके अंतर्गत खंड (झ) में यथानिर्दिष्ट खान की परिभाषा के अधीन आने वाले क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित और अनुमोदित गैर-खनिज क्षेत्र भी है ;

(कक) "खनिजों" के अंतर्गत खनिज तेलों के सिवाय सभी खनिज आते हैं ;

* * * * *

(झ) "खान" और "स्वामी" पदों के वही अर्थ हैं जो उन्हें खान अधिनियम, 1952 में दिए गए हैं ।

1952 का 35

* * * * *

अध्याय 2

पूर्वेक्षण और खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने पर साधारण निर्बन्धन

पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन होना ।

4. (1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई भूमीक्षण, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन तथा उसके निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उन पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका किसी क्षेत्र में उपक्रम इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त ऐसे प्रारम्भ के समय प्रवृत्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया हो :

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई भी बात किन्हीं ऐसी पूर्वेक्षण संक्रियाओं को लागू नहीं होगी जो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय किसी भी राज्य सरकार के खनन और भू-विज्ञान निदेशालयों (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों) तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) के अर्थ में सरकारी कम्पनी और ऐसे किसी अस्तित्व द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

2013 का 18

* * * * *

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों की

4क. (1) * * * *

(4) जहां किसी खनन पट्टे का धारक पट्टे के निष्पादन की तारीख के पश्चात् दो

समाप्ति ।

वर्ष की अवधि तक खनन संक्रियाएं करने में असफल रहता है अथवा खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के पश्चात् उसने दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए उन्हें बन्द कर दिया है, वहां पट्टा, यथास्थिति, पट्टे के निष्पादन अथवा खनन संक्रियाओं के बन्द किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान पर व्यपगत हो जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार, पट्टे के ऐसे धारक द्वारा इस उपधारा के अधीन पट्टे के व्यपगत होने से पहले किए गए आवेदन पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि पट्टे के धारक के लिए, ऐसे कारणों से जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है, ऐसी खनन संक्रियाओं का करना या ऐसी संक्रियाओं का जारी रखना संभव नहीं होगा, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएं, ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर, इस आशय का आदेश कर सकेगी कि ऐसा पट्टा व्यपगत नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऐसा पट्टा, राज्य सरकार के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के समाप्त होने से पूर्व खनन संक्रियाएं करने में असफल होने या उन्हें जारी रखने में असमर्थ होने पर व्यपगत हो जाएगा :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार पट्टे के धारक द्वारा आवेदन किए जाने पर, जो पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे प्रारंभ न किया जाना या बंद किया जाना ऐसे कारणों से हुआ है, जिन पर पट्टे के धारक का नियंत्रण नहीं था, पट्टे को ऐसे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी तारीख से जिसे वह ठीक समझे, किन्तु जो पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से पूर्वतर न हो, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पुनः प्रवर्तित कर सकेगी :

परन्तु यह भी कि तीसरे परन्तुक के अधीन किसी पट्टे को पट्टे की संपूर्ण कालावधि के दौरान दो बार से अधिक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाएगा ।

* * * * *

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अनुदान पर निर्बंधन ।

5. (1) कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा तभी अनुदत्त करेगी जब ऐसा व्यक्ति—

* * * * *

(ख) ऐसी शर्तें पूरी करता है जो विहित की जाएं :

परन्तु प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत कोई भूमीक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही अनुदत्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

परन्तु यह और कि प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों की बाबत भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन वहां अपेक्षित नहीं होगा जहां,—

* * * * *

8क. (1) * * * *

कोयला, लिग्नइट और आणविक खनिजों से भिन्न

(8) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी खनन पट्टों की कालावधि,

जिसके अंतर्गत सरकारी कंपनियों या निगमों के वियमान खनन पट्टे सम्मिलित हैं वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाहत की जाए ।

खनिजों के लिए खनन पट्टा अनुदत्त करने की कालावधि ।

* * * * *

8ख. (1) इस धारा के उपबंध, प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न, खनिजों को लागू होंगे ।

कानूनी अनापतियों के अंतरण के लिए उपबंध ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टों के सफल बोली लगाने वाले और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित बोली लगाने वाले में सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति, अनुज्ञप्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए वैसे ही निहित समझे जाएंगे जैसे पूर्व पट्टाधारी में थे :

परन्तु ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाएं, ऐसा नया पट्टाधारी ऐसा नया पट्टा अनुदत्त करने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सभी आवश्यक अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति, अनुज्ञप्ति इत्यादि के लिए आवेदन करेगा और उन्हें प्राप्त करेगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नया पट्टा प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक, नए पट्टाधारी के लिए ऐसी भूमि पर खनन संक्रियाएं जारी रखना विधिपूर्ण होगा जिस पर पूर्व पट्टाधारी खनन संक्रियाएं कर रहा था ।

* * * * *

9ख. (1) * * * *

जिला खनिज प्रतिष्ठान ।

(3) जिला खनिज प्रतिष्ठान का गठन और कृत्य वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

* * * * *

2015 का 10

(5) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् अनुदत्त खनन पट्टे या पूर्वेक्षण-अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्टे का धारक, उस जिल के जिला खनिज प्रतिष्ठान को जिसमें खनन संक्रियाएं की गई हैं, स्वामित्व के अतिरिक्त ऐसी रकम का संदाय करेगा जो दूसरी अनुसूची निबंधनानुसार संदत्त स्वामिस्व की ऐसी प्रतिशतताके समतुल्य है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए किन्तु जो ऐसे स्वामिस्व के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो ।

2015 का 10

(6) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख से पहले अनुदत्त खनन पट्टे का धारक, उस जिले के, जिला खनिज प्रतिष्ठान को जिसमें खनन संक्रियाएं की गई हैं, स्वामिस्व के अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची के निबंधनानुसार ऐसी रीति में तथा खनन पट्टों के वर्गीकरण और पट्टा धारकों के विभिन्न वर्गों द्वारा संदेय रकमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संदत्त स्वामित्व से अनधिक रकम का संदाय करेगा।

* * * * *

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास ।

9ग. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के नाम से

ज्ञात एक अलाभकर निकाय के रूप में एक न्यास की स्थापना करेगी ।

* * * * *

विद्यमान रियायत धारकों और आवेदकों के अधिकार ।

10क. (1) * * * *

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से ही पात्र होंगे :— 2015 का 10

(क) इस अधिनियम की धारा 11क के अधीन प्राप्त आवेदन ;

(ख) जहां खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी भूमि की बाबत किसी खनिज के संबंध में कोई भूमीक्षण अनुज्ञा पत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, वहां अनुज्ञा पत्र धारक या अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन पट्टा या उस भूमि में उस खनिज की बाबत खनन पट्टा अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, अनुज्ञा पत्र धारक या अनुज्ञप्ति धारक ने,— 2015 का 10

(i) उस भूमि में खनिज अंतर्वस्तु विद्यमान होने को साबित करने के लिए ऐसे पैरामीटरों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, यथास्थिति, भूमीक्षण संक्रियाएं या पूर्वक्षण संक्रियाएं की हैं ;

(ii) भूमीक्षण अनुज्ञा पत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को भंग नहीं किया है ;

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपात्र नहीं हो गया है ; और

(iv) यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञा पत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के पश्चात् तीन मास की कालावधि के भीतर या ऐसी छह मास से अनधिक और कालावधि जो राज्य सरकार द्वारा विस्तारित की जाए के भीतर, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए आवेदन करने के लिए असफल नहीं रहा है ;

* * * * *

नीलामी के माध्यम से अधिसूचित खनिजों की बाबत खनन पट्टा अनुदत्त करना ।

10ख. (1) इस धारा के उपबंध धारा 10क या धारा 17क के अंतर्गत आने वाले मामलों को या प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को या उस भूमि की बाबत जिसके खनिज सरकार में निहित नहीं हैं, को लागू नहीं होंगे ।

* * * * *

(3) उन क्षेत्रों में जहां किसी अधिसूचित खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में स्थापित की गई है, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों को ऐसे अधिसूचित खनिज के खनन के लिए खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए ऐसे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन ऐसा खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा और अन्य सुसंगत शर्तें और किन्हीं अन्य सुसंगत शर्तों को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिसूचित करेगी ।

(4) राज्य सरकार, ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी अधिसूचित खनिज की बाबत खनन पट्टा अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, जिसके

अंतर्गत ई-नीलामी भी है, किसी ऐसे आवेदक का चयन करेगी जो इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है ।

* * * * *

(6) केन्द्रीय सरकार उपधारा (5) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, खनिजों की श्रेणियों, किसी राज्य या राज्यों में खनिज निक्षेप के आकार और क्षेत्र की बाबत, निबंधन और शर्तें, प्रक्रिया और बोली पैरामीटर जिनके अधीन बोली का संचालन किया जाएगा, विहित कर सकेगी :

परन्तु निबंधनों और शर्तों में किसी विशिष्ट खान या खानों का विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए आरक्षण और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे पात्र अंतिम उपयोगकर्ताओं को बोली में भाग लेने के लिए अनुज्ञात करे, को सम्मिलित किया जा सकेगा ।

गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञा पत्रों का अनुदत्त किया जाना ।

10ग. (1) प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न किसी अधिसूचित खनिज या गैर अधिसूचित खनिज या विनिर्दिष्ट खनिजों के समूह के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञापत्र अनुदत्त किए जा सकेंगे ।

(2) ऐसे गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञापत्र धारक किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे या किसी खनन पट्टे को अनुदत्त किए जाने के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु गैर-समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञापत्र धारक, जो गहराई में स्थित खनिजों या ऐसे खनिजों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विहित स्तर पर खोज करता है, राज्य सरकार को धारा 11 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा या धारा 10ख के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कोई खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसे खनिजों के भूमीक्षण और पूर्वेक्षण संक्रियाओं में बढ़ोतरी की दृष्टि से ऐसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे धारकों के चयन के लिए बोली लगाने के पैरामीटर भी हैं, विहित करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "गहराई में स्थित खनिजों" से ऐसे खनिज, जो खराब सतह प्रकटता वाली, भूमि की सतह से तीन सौ मीटर से अधिक की गहराई पर हों, अभिप्रेत हैं ।

अधिसूचित खनिजों से भिन्न खनिजों की बाबत नीलामी के माध्यम से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का अनुदत्त किया जाना ।

11. (1) इस धारा के उपबंध धारा 10क या धारा 17क के अंतर्गत आने वाले मामलों को या प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को या उस भूमि की बाबत जिसके खनिज सरकार में निहित नहीं हैं, लागू नहीं होंगे ।

* * * * *

(4) राज्य सरकार उन क्षेत्रों को जिनमें अधिसूचित खनिजों से भिन्न किन्हीं खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा प्रदान किया जाएगा, उन निबंधनों और शर्तों और किन्हीं अन्य सुसंगत शर्तों को, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की

जाए, अधिसूचित करेगी ।

(5) राज्य सरकार ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी अधिसूचित खनिज की बाबत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, किसी ऐसे आवेदक का चयन करेगी जो इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है ।

* * * * *

(10) कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा धारक जो उपधारा (9) में यथा अधिकथित पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूरा करता है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित पैरामीटरों के अनुसार क्षेत्र में खनन अंतर्वस्तु की विद्यमानता को स्थापित करता है, से ऐसे क्षेत्र के लिए खनन पट्टे के लिए आवेदन किया जाना अपेक्षित होगा और उसे खनन पट्टा प्राप्त करने और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार खनन संक्रियाएं करने का अधिकार होगा ।

* * * * *

खनिज रियायतों का अंतरण ।

12क. (1) * * * *

(2) किसी खनिज पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का कोई धारक, धारा 10ख या धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, अपने खनन पट्टे या पूर्वेक्षण-सह-खनन पट्टे को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह-खनन-पट्टे को धारण करने के लिए पात्र व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा ।

* * * * *

(6) खनन रियायतों का अंतरण केवल उन रियायतों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो नीलामी के माध्यम से अनुदत्त की गई है :

परन्तु जहां खनन पट्टा नीलामी से भिन्न माध्यम से अनुदत्त की गई है और जहां ऐसे खनन पट्टे से खनिजों का, आबद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, वहां ऐसे खनन पट्टों को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन और ऐसी रकम या अंतरण प्रभारों के संदाय पर, जो विहित किए जाएं अंतरित किए जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए "आबद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग" पद से पट्टेदार के स्वामित्वाधीन किसी विनिर्माण इकाई में खनन पट्टे से निकाले गए खनिज की संपूर्ण मात्रा का उपयोग अभिप्रेत है ।

अध्याय 4

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम

खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

13. (1) केन्द्रीय सरकार खनिजों के बारे में भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए और उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * *

(थथज) धारा 10ग की उपधारा (1) के अधीन गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञपत्रों को अनुदत्त करने के लिए निबंधन और शर्तें ;

* * * * *

(थथट) धारा 17 की उपधारा (2ग) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए सरकारी कंपनी या निगम या किसी संयुक्त उद्यम द्वारा संदेय रकम ; और

(द) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जानी है या की जाए ।

* * * * *

17क. (1) * * * *

संरक्षण के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र का आरक्षण ।

(2क) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1क) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी क्षेत्र को पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं करने के लिए आरक्षित करती है, वहां राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र की बाबत ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करेगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही अनुदत्त करेगी ।

* * * * *

(2ग) उपधार (2क) और उपधारा (2ख) में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी या निगम या संयुक्त उद्यम को अनुदत्त खनन पट्टा ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, के संदाय पर अनुदत्त किया जाएगा ।

* * * * *

शास्तियां ।

21. (1) * * * *

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा । 1974 का 2

* * * * *